❋ मकराना एंव खाटू के लिए उपयुक्त स्थान पर मेघाहाईवे पर पत्थर मण्डी का विकास ।

14. सार्वजनिक निर्माण विभाग

सैक्टर एक दृष्टि में

वार्षिक योजना वर्ष 2014–2015 में योजना हेतु प्रस्तावित राशि

- आयोजना बजट सीलिंग राशि — 9935.88 लाख
- राज्य आयोजना मद — 9935.88 लाख
- केन्द्रीय योजना मद — शुन्य

लक्ष्य एवं उदेश्य

- 250 से 499 की आबादी के सभी ग्रामो को योजना के अन्त तक बारहमासी सड़कों से जोडना।
- मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत ऐसी सभी सड़को या मिसिंग लिंके जो वर्तमान में मेटल स्तर तक बनी हैं, उन्हे डामरीकृत करना।
- सभी राज्य/जिला मार्गो पर स्थित ग्रामों में ग्राम से गुजरने वाली सड़क को पक्का खरंजा/सीमेन्ट कंकरीट सड़क से पक्का करना एवं इस मार्गो पर यदि कोई पूलिया या रपट निर्माण बकाया है तो उसे बनाना।
- धार्मिक एवं पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानो को सड़क से जोडना।
- सभी डामरीकृत सड़को का संधारण उनके लिये निर्धारित रिन्युवल साईकल (पुनः डामरीकरण चक्र) के अनुसार करना।
- राज्य, जिला एवं अन्य जिला सड़को का यातायात के भार के अनुसार चौडाईकरण एवं सुदृढीकरण करना व आर.ओ.बी. आदि का निर्माण।

सार्वजनिक निर्माण विभाग का दृष्टि पत्र

13.1 वर्तमान स्थिति –

- क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले में सड़कों का घनत्व 36.63 किमी
- क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में सड़कों का घनत्व 49.60 किमी
- क्षेत्रफल की दृष्टि से राष्ट्र में सड़कों का घनत्व 102.92 किमी

किसी भी राष्ट्र के विकास एवं उत्थान के लिये सुगम यातायात के साधन का होना एक महत्वपूर्ण सोपान है। इसके द्वारा राष्ट्र के लिए अन्तोगत्व समाज के आर्थिक विकास के साथ–साथ समाज की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में सुधार होने से सामाजिक विकास तय होता है।

सुगम यातायात के साधानों हेतु एक अच्छी एवं आवश्यक स्थानों पर पहुंच के लिये बाध रहित बारहमासी सड़को का होना नितान्त आवश्यक है। राज्य में इसके लिए (नोडल एजेन्सी) कार्यान्वयन संस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग है।

13-1-1 ftyk esa lMdksa dh jk"Vª ,oa jkT; Lrj ls rqyukRed fLFkfr

(किलो मीटर)

क्र. सं	विवरण	जिला स्तर	राज्य स्तर	राष्ट्रीय स्तर
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग	329	5655	
2.	राज्य राजमार्ग	955	11594	
3.	मुख्य जिला सडक	377	7328	
4.	अन्य जिला सडक	206	21412	
5.	ग्रामीण सडक	3997	123745	
	;ksx&	5864	169734	33-00 yk[k

इस जिले का क्षेत्रफल 17718 वर्ग कि.मी. एवं आबादी 27.75 लाख है, वर्तमान में इस जिलें में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई 329 कि.मी.,, डामरीकृत सड़कों की लम्बाई 5864 किमी, डब्ल्यू बी एम सड़को की लम्बाई 174 किमी एवं ग्रेवल सड़को की लम्बाई 453 किमी है।

नागौर जिले में डामर सडकों का क्षैत्रफल की दृष्टि से घनत्व 33.00 किमी प्रति 100 बर्ग किलोमीटर हैं तथा जिले में कूल सडकों का घनत्व 36.63 किमी प्रति 100 वर्ग किमी हैं जबकि राज्य का घनत्व 49.60 किमी प्रति 100 वर्ग किमी हैं एवं राष्ट्र का घनत्व 102.92 प्रति 100 वर्ग किमी हैं।नागौर जिले में कुल 461 ग्राम पंचायत मुख्यालय है, जिनमें से 459 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोड़ा जा चुका है। शेष दो पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने को कार्य प्रगति पर है तथा मार्च 2007 तक डामर सड़क से जोड़ दिया जायेगा।

नागौर जिले में कुल 1502 राजस्व गांव है, जिनमें से 1160 ग्रामों को विभिन्न योजनाओं में डामर सड़क से जोड़ा जा चुका है तथा 136 ग्रामों को डामर सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है।

13-1-2 o"kZ 2001 dh tux.kuk vuqlkj Mkej lM+dks ls tqM+s xzkeksa dh fLFkfr

क्र.सं.	जनसंख्या समूह	कुल गांव	डामर सड़क से जुड़े ग्रामों की संख्या	शेष
1	2	3	4	5
1.	1000 से अधिक आबादी	839	835	4
2.	500 से 999	386	229	157
3.	500 से कम आबादी	277	96	181
	योग	1502	1160	342

13-1-3 iapk;r lfefrokj lM+d usVodZ ls tqM+s xzkeksa dh oLrqfLFkfr

क्र.सं.	पंचायत समिति	कुल ग्राम	जुड़े हुए ग्राम
1	नागौर	155	127
2	मूण्डवा	122	97
3	जायल	137	100
4	डीडवाना	172	136
5	लाडनू	97	84
6	कुचामन	193	132
7	परबतसर	110	84
8	मकराना	119	95
9	डेगाना	154	127
10	रियांबड़ी	128	101
11	मेड़ता	115	77
	योग	1502	1160

13.2 योजना अवधि हेतु लक्ष्य एवं प्राथमिकताएं –

- 250 से 499 की आबादी के सभी ग्रामो को योजना के अन्त तक बारहमासी सड़कों से जोडना।
- मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत ऐसी सभी सड़को या मिसिंग लिंके जो वर्तमान में मेटल स्तर तक बनी हैं, उन्हे डामरीकृत करना।
- सभी राज्य/जिला मार्गो पर स्थित ग्रामों में ग्राम से गुजरने वाली सड़क को पक्का खरंजा/सीमेन्ट कंकरीट सड़क से पक्का करना एवं इस मार्गो पर यदि कोई पूलिया या रपट निर्माण बकाया है तो उसे बनाना।
- धार्मिक एवं पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानो को सड़क से जोडना।
- सभी डामरीकृत सड़को का संधारण उनके लिये निर्धारित रिन्युवल साईकल (पुनः डामरीकरण चक्र) के अनुसार करना।
- राज्य, जिला एवं अन्य जिला सड़को का यातायात के भार के अनुसार चौडाईकरण एवं सुदृढीकरण करना व आर.ओ.बी. आदि का निर्माण।